



सेन्ट्रल लायब्रेरी नगर पालिक निगम, रायपुर छ.ग.

जी.ई. रोड आयुर्वेदिक कॉलेज के सामने, रायपुर (छ.ग.)

Email-Centrallibraryraipurcg@gmail.com Phone No.

निविदा आमंत्रण सूचना

क्र. 201...../से.ला./नपानि/2023

रायपुर दिनांक 04...../10../2023

नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा संचालित सेन्ट्रल लायब्रेरी हेतु, श्रमआयुक्त कार्यालय ई.पी.एफ.कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम में एकीकृत ठेकेदारों से कलेक्टर दर पर शासन द्वारा निर्धारित ई.पी.एफ. 13.00 प्रतिशत एवं ई.एस.आई.सी. 3.25 प्रतिशत जोड़कर दरें निर्धारित प्रपत्रों में तीन लिफाफा पद्धति पर लिफाफा "अ" में अमानती राशि तथा लिफाफा "ब" में सीलबंद निविदाएं नियमानुसार पृथक-पृथक लिफाफे में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से सीलबंद निविदाएं लायब्रेरियन, सेन्ट्रल लायब्रेरी नगर पालिक निगम, रायपुर के पते पर आमंत्रित की जाती है। कार्य की अमानत राशि का एफ.डी.आर. आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम से मान्य होगा। निविदा का विवरण निम्नानुसार है।

1. निविदा प्रपत्र जारी करने की तिथि :- 05.10.23... संध्या 5.00 बजे तक।
2. निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि :- 25.10.23... संध्या 5.00 बजे तक।
3. निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि :- 26.10.23... संध्या 5.00 बजे तक।

कार्य का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्य का विवरण	निविदा आमंत्रण	निविदा फार्म	आगणित राशि (लाख में)	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	ठेकेदार की श्रेणी	कार्य दिवस
01	सेन्ट्रल लायब्रेरी जी.ई. रोड स्थित भवन की सुरक्षा व्यवस्था हेतु निजि प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से 10 सुरक्षा गार्ड (अकुशल श्रमिक) रखे जाने का कार्य।	प्रथम	B	19.00	19,000/-	750/-	श्रम विभाग से पंजीकृत ठेकेदार/ फार्म	12 माह

नियम एवं शर्तें :-

1. सशर्त निविदाएं अस्वीकार्य होगी। अमानत राशि एफ.डी.आर. में अलग लिफाफे में देना होगा निविदा संबंधी समस्त अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर का रहेगा। विस्तृत जानकारी सेन्ट्रल लायब्रेरी से प्राप्त की जा सकती है।
2. ठेकेदारी/सुरक्षा एजेंसी का वैध जीवित पंजीयन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी., जीएसटी एवं Commercial tax का क्लीयरेंस सर्टिफिकेट अनिवार्य है। Pasara Licence, ITR Last 03 Years, Bank Solvency, Financial Capacity Certificate अनिवार्य है।
4. सुरक्षा गार्ड संबंधी कार्य नगर पालिक निगम, रायपुर का विगत 03 वर्षों का कार्य आदेश प्रमाण पत्र एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5. विस्तृत नियम एवं शर्तें निविदा प्रपत्र में उल्लेखित है।
6. ठेकेदार के लाभांश की गणना केवल कलेक्टर द्वारा निर्धारित मासिक वेतन (विशेष वेतन, ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी., GST की राशि को छोड़कर) पर की जायेगी।
7. ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी., GST संबंधित विभागों में जमा करने का चालान प्रस्तुत करने पर उसका भुगतान किया जायेगा।
8. प्राप्त समस्त मुहर बंद निविदाएं नियत तिथि तथा समय में उपस्थित निविदाकार अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

अपर आयुक्त/नोडल अधिकारी
सेन्ट्रल लायब्रेरी
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)